



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 कार्तिक 1943 (श10)

(सं० पटना 949) पटना, वृहस्पतिवार, 18 नवम्बर 2021

कृषि विभाग
उद्यान निदेशालय (बिहार)

अधिसूचना

16 नवम्बर 2021

सं० 13/उ०नि०-406/2019-6140-कृ०—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, उद्यान निदेशालय, बिहार के नियंत्रणाधीन लिपिकीय सेवा में भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।—

- (1) यह नियमावली बिहार कृषि विभागीय उद्यान कोटि-7 लिपिकीय (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2021 कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषा ।—

- (1) विभाग से अभिप्रेत है बिहार सरकार का कृषि विभाग (उद्यान निदेशालय)।
- (2) "संवर्ग" से अभिप्रेत है, बिहार उद्यान निदेशालय लिपिकीय सेवा (उद्यान कोटि-7) का संवर्ग,
- (3) "आयोग" से अभिप्रेत है, "बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग"
- (4) "वर्ष" से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से अगले वर्ष का 31 मार्च की अवधि।
- (5) "सक्षम प्राधिकार" से अभिप्रेत है "निदेशक उद्यान"।
- (6) "सदस्य से अभिप्रेत है निम्नवर्गीय लिपिक उद्यान में नियुक्त व्यक्ति,
- (7) "नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है निदेशक उद्यान, कृषि विभाग, बिहार सरकार।

3. संवर्ग का गठन एवं पद सोपान ।— यह सेवा राज्य स्तरीय सेवा होगी तथा कृषि विभाग के अन्तर्गत उद्यान निदेशालय इस सेवा का नियोक्ता-सह-नियंत्री प्राधिकार होगा।

- (1) इस सेवा का मूल पद, निम्नवर्गीय लिपिक होगा।

4. **संवर्ग की संरचना** ।— (क) संवर्ग की पदीय संरचना निम्न प्रकार होगी :—

क्र० सं०	कोटि का नाम	स्तर	अभ्युक्ति
1	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि	अराजपत्रित
2	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर	
3	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	
4	कार्यालय अधीक्षक	तृतीय प्रोन्नति स्तर	

(ख) उक्त पदों का स्वीकृत बल वहीं होगा जैसा समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाए।

(ग) उक्त पदों का ग्रेड वेतन/वेतन स्तर वहीं होगा जैसा समय-समय पर वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाए।

(घ) नियत तिथि से इस संवर्ग में पूर्व से कार्यरत सभी व्यक्ति स्वतः इस संवर्ग के सदस्य होंगे।

5. **मूल कोटि में नियुक्ति एवं प्रोन्नति** ।—

- (1) **पद एवं शैक्षणिक योग्यता** :— निम्नवर्गीय लिपिक हेतु शैक्षणिक योग्यता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इन्टरमीडियट एवं समकक्ष होगा।
 - (2) भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेगी।
 - (3) भर्ती बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर निदेशक उद्यान द्वारा नियुक्ति निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर की जायेगी।
 - (4) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना करेगा और 30 अप्रैल तक आयोग को अधियाचना भेजा जायेगा।
 - (5) निम्नवर्गीय लिपिक का 85 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरा जायेगा और 15 प्रतिशत पद इन्टरमीडियट योग्यताधारी सुपात्र समूह 'घ' परिचारी से वरीयतानुसार प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नत कर्मी को प्रथम वेतनवृद्धि के उपरांत अगली वेतनवृद्धि कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा, हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। तभी अगली वेतनवृद्धि देय होगी। सरकार द्वारा समय-समय पर अनुकम्पा पर नियुक्ति के संबंध में किये गये प्रावधान भी लागू होंगे।
 - (6) निदेशक उद्यान द्वारा रिक्ति की अधियाचना विधिवत् बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जाएगा तथा बिहार कर्मचारी चयन आयोग रिक्तियों का विज्ञापन प्रकाशित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को मेधाक्रम में अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधासूची की वैधता अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।
6. **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा** ।— आयोग लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर, सामान्य तथा प्रत्येक आरक्षण कोटि के लिए, अलग-अलग मेधा सूची तैयार करेगा। ऐसी तैयार की गई सूचियों में से आयोग प्रतिवेदित अधियाचना के अनुसार उद्यान निदेशालय (कृषि विभाग) को अनुशंसा भेजेगा।
7. **आरक्षण** ।— भर्ती एवं प्रोन्नति में, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।
8. **विभागीय परीक्षा** ।— (1) विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित की जायेगी। राजस्व पर्षद द्वारा लिपिक संवर्ग के लिए निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
- (2) नियमावली प्रभावी होने के पूर्व कृषि विभाग द्वारा पूर्व से संचालित वांछित सभी विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मी राजस्व पर्षद द्वारा संचालित विभागीय परीक्षा से विमुक्त माने जायेंगे।
9. **सेवा सम्पुष्टि** ।— विभागीय परीक्षा (हिन्दी टिप्पण प्रारूपण एवं राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा) उत्तीर्ण होने पर सेवा सम्पुष्टि की जायेगी।
10. **प्रोन्नति** ।— (1) उच्चवर्गीय लिपिक के शत प्रतिशत पदों पर निम्नवर्गीय लिपिक में कार्यरत कर्मियों से विभागीय परीक्षा उत्तीर्णोपरांत वरीयता क्रमानुसार प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।
- (2) उच्चवर्गीय लिपिक में प्रोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित वेतनमान (ग्रेड पे) आधारित कालावधि मान्य होगी।
- (3) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में प्रोन्नति के लिए समय-समय पर विहित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे।

- (4) बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त एवं उसी कैलेंडर वर्ष में निम्न पद से प्रोन्नति के उपरान्त नियुक्त कर्मी की आपसी वरीयता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिश्चित मानदंड के आधार पर तैयार की जाएगी।
11. **विभागीय प्रोन्नति समिति**।— विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जाएगा।
12. **अवशिष्ट मामलें**।— जिन विषयों या बिन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है, उनके संबंध में राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश में किये गये प्रावधान, इस सेवा के संदर्भ में लागू माने जायेंगे।
13. **निरसन एवं व्यावृत्ति**।— (1) इस संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति/सेवा शर्त संबंधी पूर्व में निर्गत सभी परिपत्र/अनुदेश/संकल्प एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व में निर्गत परिपत्र/अनुदेश/संकल्प के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया या वैसी कार्रवाई की गयी थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० एन० सरवण कुमार,
सचिव।

The 16th November 2021

No.-13/D.H-406/2019-6140--Agri.—In exercising the powers conferred by the provision of Article 309 of the Constitution of India of all rules made in this behalf, His Excellency, the Governor of Bihar hereby formulates the following rules for the recruitment, promotion and service conditions of clerical services which are under the control of Directorate of Horticulture, namely:-

1. Brief Name, Description and Commencement:

- (1) These rules may be called the Bihar Agriculture Departmental (Horticulture) Group-7 Clerical (Recruitment, Promotion and Other Services) Rules, 2021.
- (2) This shall be applicable across the State of Bihar
- (3) These shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. Definition:

- (1) Department means Department of Agriculture (Directorate of Horticulture), Government of Bihar
- (2) "Cadre" means the cadre of clerical services (Udyaan level – 7) of Directorate Horticulture, Bihar
- (3) Commission means Bihar Staff Selection Commission
- (4) "Year" means financial year i.e. the period from 1st April to 31st March of ensuing year
- (5) "Concerned Authority" means "Director Horticulture"
- (6) "Member" means Person recruited under Lower Division Clerk cadre post
- (7) "Appointing Authority" means Director Horticulture, Department of Agriculture, Government of Bihar

3. Constitution of Cadre and hierarchy of the post: This service shall be at the State level and Director Horticulture under the Department of Agriculture, Government of Bihar shall be the appointing cum controlling authority

- (1) The basic position of this service shall be Lower division Clerk

- 4. Structure of the cadre: (a)** The structure of the clerical cadre shall be as follows:

S. N.	Group Name	Level	Particulars
1	Lower Division Clerk	Basic Category	Non-Gazetted
2	Upper Division Clerk	First Promotion Level	
3	Head Clerk	Second Promotion Level	
4	Office Superintendent	Third Promotion Level	

- (b) The sanctioned posts for the above positions shall be as approved by the Government of Bihar from time to time basis.
- (c) The Grade pay/pay scale of the said post shall be as approved by Finance Department, Government of Bihar from time to time basis.
- (d) Persons working under this cadre prior to the effective date, shall by default continue as part of this cadre

5. Recruitment and Promotion under the basic category-

- (1) Post and educational qualification:** The educational qualification for Lower division Clerk shall be intermediate or equivalent qualification along with knowledge of operating computers and computer typing.
- (2)** The minimum age for recruitment shall be 18 years and the maximum age shall be the same which State Government (General Administration Department) determines from time to time basis.
- (3)** The recruitment will be done by Director Horticulture on recommendation by Bihar Staff Selection Commission for the Lower Division Clerk post.
- (4)** The appointing authority shall take stock of the vacancies as on 1st April of each year and shall send the requisition to commission by 30th April.
- (5)** 85% of lower division clerk post shall be filled through direct recruitment and 15% shall be filled on seniority based promotion of suitable Group 'D' attendants having intermediate qualification. After the first pay rise of the promoted personnel on Lower Division clerk post, passing of computer competency examination, Hindi typing and drafting examination and departmental examination shall be mandatory for second pay rise. Then after next pay rise shall be applicable. Provisions of recruitment on compassionate grounds as approved by State Government from time to time, shall be also applicable.
- (6)** Director Horticulture shall send the requisition for vacancies as per the due procedure to Bihar Staff Selection Commission and the Bihar Staff Selection Commission shall publish advertisement for the vacancies, select the successful candidates based on competitive exam and send the list of candidates on merit basis as recommendation to the recruitment authority. The validity of the merit list shall remain till one year from the date of recommendation.
- 6. Recommendation of candidates by Commission:** Commission will create separate merit list for general and other reserved categories based on the total marks obtained in the written examination. From these lists, the Commission

shall send recommendation to Directorate of Horticulture (Agriculture Department) based on the reported requisition.

7. Reservation: The compliance of reservation/roaster as notified by the State Government from time to time, will be mandatory in recruitment and promotion.

8. Departmental Examination: (1) The Departmental examination will be conducted by Revenue Board. It shall be mandatory to pass the departmental exam conducted by the Revenue Board for the clerical cadre.

(2) All personnel who have passed the departmental exams conducted previously by the Agriculture Department, prior to these Rules being effective, shall be considered exempted from the Departmental Exam conducted by the Revenue Board.

9. Service Confirmation- The service confirmation shall be done after passing of Departmental Exam (Hindi typing and drafting examination and departmental examination conducted by Revenue Board).

10. Promotion:

(1) All the posts of Upper Division Clerk shall be filled through the promotion of lower division clerks on seniority basis after passing the departmental exam.

(2) For promotion to Upper Division Clerk, the duration based on salary (grade pay) determined by the General Administration Department of State Government shall be applicable

(3) The prescribed provisions of reservation under the services of State Government as prescribed by the General Administration Department from time to time, shall be applicable.

(4) The seniority list amongst the personnel appointed based on the recommendation of Bihar Staff Selection Commission and the personnel appointed after promotion in the same calendar year based from the lower post, shall be prepared as per the criteria prescribed by General Administration Department.

11. Departmental Promotion Committee: The formation of Departmental Promotion Committee shall be done through another order by the Department.

12. Remaining Matters- Any matter or points not covered under these rules, the provisions of the existing rules/ manual/ order/ instruction by State Government shall be applicable for the time being.

13. Repeal and Savings-

(1) All the orders/instructions/circulars released for the recruitment/service condition of this cadre before the commencement of these rules in so far as are hereby repealed.

- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the orders so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By the order of Governor of Bihar,
Dr. N.Saravana Kumar,
Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 949-571+100-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>